(24)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 43/2018
अपीलांट

दाकुदेवी पुत्री ढगलाराम पत्नी चतराम जी जाति मेगवाल निवासी गुडापदमसिंह जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. भानाराम पुत्र फौजा जी जाति मेगवाल निवासी गुडाकेशरसिंह हाल गुडारामसिंह तहसील मारवाड जंक्शन
2. चेनाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति मेघवाल निवासी पदाजी का ओडा बोगला तहसील मारवाड जंक्शन
3. तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) मारवाड जंक्शन

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र दवे, अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा मुकदमा संख्या 01/2017 बउनवान भानाराम बनाम चेलाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 एवं 03.04.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट दाकु देवी ढगलाराम पुत्र धुलाराम जाति मेघवाल निवासी गुडारामसिंह की वैध पुत्री है, अपीलांट के पिता का नाम ढगलाराम है तथा ढगलाराम के तीन पुत्रीया अपीलांट दाकु देवी, सुखिया देवी एवं भवरी देवी है गजरी बेवा ढगलाराम माता है तथा धापु बेवा धुलाराम दादी है तथा धुलाराम पुत्र चतराराम दादा है अपीलांट मौजा गुडा दर्जन की रेवेन्यु सीमा मे खसरा नंबर 276 रकबा 0.7209 हैक्टर की कृषि भूमि अपीलांट की माता गजरी बेवा ढगलाराम जाति मेघवाल के नाम स्थित है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा नंबर 260 रकबा 0.7841 हैक्टर धापु बेवा धुलाराम के नाम की खातेदारी की जमाबंदी में दर्ज है तथा इसी प्रकार मौजा नेवो की खेजउी में खसरा नंबर 988 की भूमि अपीलांट के पिता ढगलाराम के नाम की खातेदारी की स्थित है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है एवं हस्तगत प्रकरण में निर्णय से अपीलांट के हितो पर कुठाराघात होगा। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ढगलाराम की विधिक वारिसान नहीं है। जिससे हस्तगत प्रकरण में होने वाले निर्णय से अपीलांट का हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी मे खसरा नंबर 276 रकबा 0.7209 हैक्टर की कृषि भूमि गजरी बेवा ढगलाराम जाति मेघवाल के नाम स्थित है तथा खसरा नंबर 260 रकबा 0.7841 हैक्टर धापु बेवा धुलाराम के नाम की खातेदारी की जमाबंदी में दर्ज है तथा इसी प्रकार मौजा नेवो की खेजडी में खसरा नंबर 988 की भूमि ढगलाराम के नाम की खातेदारी की स्थित है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष ढगलाराम की पुत्री होना बताते हुए अपील प्रस्तुत की है जिससे हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय से पहुंचने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 0.7209 हैक्टर, खसरा नंबर 260 रकबा 0.7841 हैक्टर, खसरा नंबर 988 रकबा 1.2519 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का दखलदांजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट के पूर्वजो व वर्तमान में अपीलांट का कब्जा है। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चेनाराम पुत्र लक्ष्मणलाल ने अपने को ढगलाराम का फर्जी दतक पुत्र अंकित कर दावा प्रस्तुत किया, जबकि चेनाराम लक्ष्मणराम का पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य राशनकार्ड आधार कार्ड एवं वोटर लिस्ट की जांच किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गुडाकेशरसिंह का निवासी है न कि गुडारामसिंह का निवासी है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फर्जी गुडारामसिंह का नाम अंकित कर दावा प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मौखिक तथ्यो के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 0.7209 हैक्टर, खसरा नंबर 260 रकबा 0.7841 हैक्टर, खसरा नंबर 988 रकबा 1.2519 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का दखलदांजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का 20 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपरोक्त भूमि का सुखाधिकार प्राप्त कर चुका है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ढगलाराम जी का गोदीपुत्र है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने ढगलाराम की पुत्री होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे अपीलांट का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए राजीनामे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 0.7209 हैक्टर, खसरा नंबर 260 रकबा 0.7841 हैक्टर, खसरा नंबर 988 रकबा 1.2519 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का दखलदांजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसी प्रकार आर.आर.टी 2011(2) पेज 721 जगदीश बनाम श्री सीताराम व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम, 1963– अनुच्छेद 64 व 65– रेफरेंस– खातेदारी अधिकार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रदान किये जा सकते है–काश्तकारी अधिनियम से संबधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते है–प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिनियम अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मंडल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है–निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।" हस्तगत प्रकरण में उक्त विनिर्णय पूर्णतया चस्पा होते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 चेनाराम को ढगलाराम का गोदीपुत्र बताते हुए दावा प्रस्तुत किया। अब हस्तगत प्रकरण में मूल प्रश्न यह उठता है कि क्या चेनाराम ढगलाराम को गोदीपुत्र है अथवा नहीं ? अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय के समक्ष इस संबध में कोई दस्तावेज एवं रजिस्टर्ड गोदनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि चेनाराम ढगलाराम का दतक पुत्र है। किन्तु अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष राशनकार्ड एपीएल नंबर 20003125565 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत चेनाराम के पिता का नाम लक्ष्मणराम दर्ज है। इसी प्रकार मतदाता पहचान पत्र 836 एसएमके/0511923 में चेनाराम के पिता का नाम लक्ष्मणराम दर्ज है, भामाशाह कार्ड संख्या 9999–50ई2–00458 में चेनाराम के पिता का नाम लक्ष्मणराम दर्ज है उक्त दस्तावेज में चेनाराम पदाजी का ओडा बोगला का निवासी होना अंकित है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे में चेनाराम को ढगलाराम को दतक पुत्र होना एवं उसका निवास स्थान गुडारामसिंह होना बताया है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रमाणित मौका फर्द एवं कार्यालय ग्राम पंचायत गुडा रामसिंह द्वारा जारी उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमे यह स्पष्ट अंकन है कि अपीलांट ढगलाराम की पुत्री है। एवं विधिक वारिस होने के नाते अपीलांट के वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत जन्म से अधिकार निहित हो जाते है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्यो की जांच किये, केवल मौखिक कथनो के आधार पर कानूनी बिन्दुओ के विपरित जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा मुकदमा संख्या 01/2017 अउनवान भानाराम बनाम चेलाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 एवं 03.04.2018 अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली